# Form No. III
# फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**बाबुलाल जाट** बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़**

**कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

| किस्म मुकदमा | अपील (सूचना का अधिकार) | नं0 | **022** | सन् | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.04.2025 | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी बाबुलाल जाजु निवासी ए-125, 126 कुमुद विहार-1, होटल फ्लौरा पार्क के सामने भीलवाडा मोबाईल 9829047200 पिन-311001 ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील अधिनियम धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **12.02.2025** के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़** द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।<br><br>-S/D-<br>(आलोक रंजन)<br>लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>21.04.2025 | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official